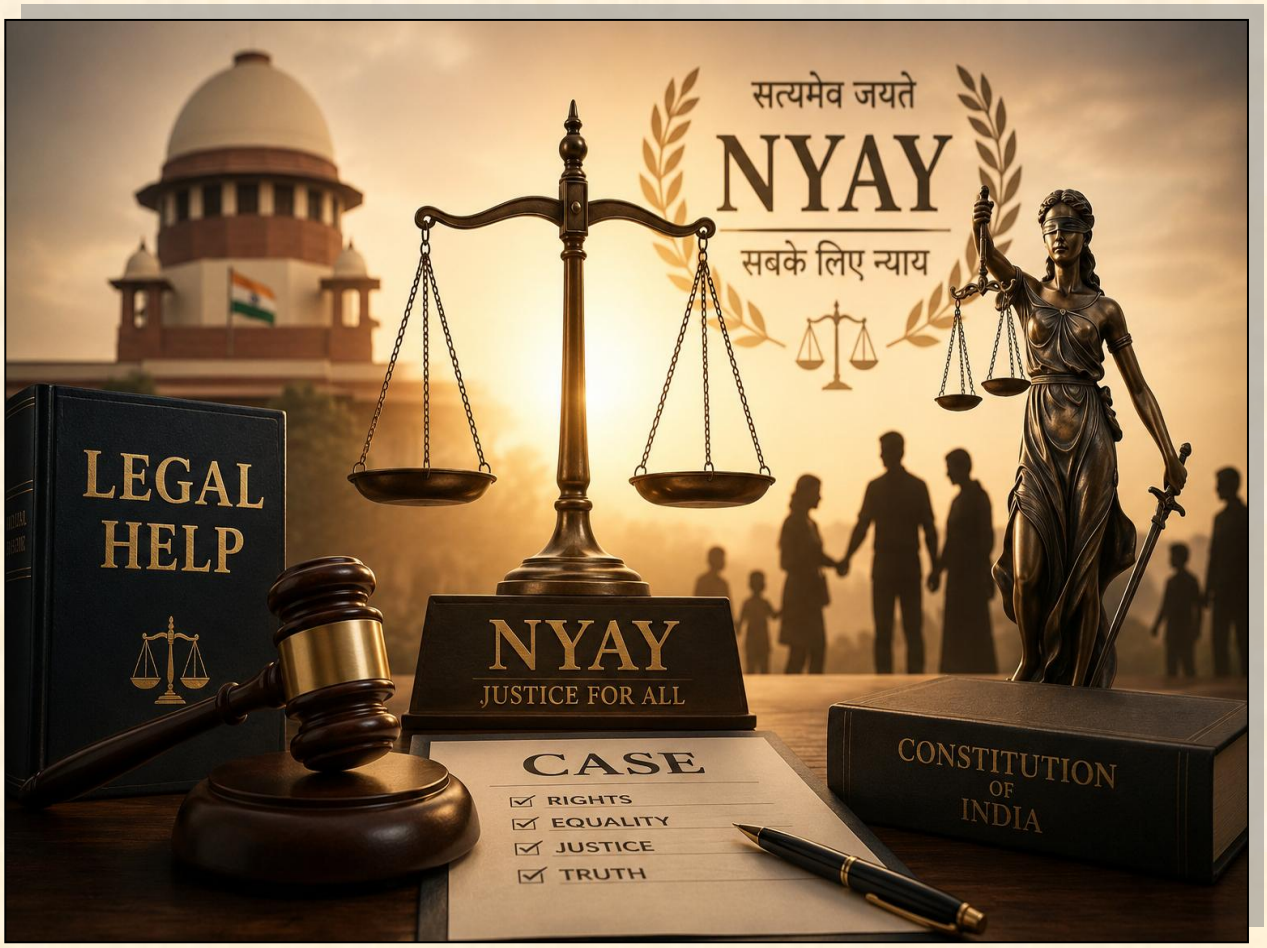
Report on Days Celebrated and New Module Legal Services (Multi-Purpose) Camps held during the Month of August-2026 by UKSLSA/DLSAs



UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

High Court Campus, Nainital - 263001, Telefax: 05942-236552, e-mail: slsa-uk@nic.in,
Website: https://uttarakhand.nalsa.gov.in
Portal For Free Legal Aid: https://nyaymitraslsa.uk.gov.in
Toll Free No:-**UKSLSA**-18001804000, **NALSA**-15100

INDEX

S.N	Particulars	Page No.
1	**International Youth Day**	**3-8**
1.1	Introduction	3-4
1.2	Picture Gallery	5-7
1.3	Statistical Information	8
2	**Independence Day**	**9-13**
2.1	Introduction	9-10
2.2	Picture Gallery	10-12
2.3	Statistical Information	13
3	**World Humanitarian Day**	**14-18**
3.1	Introduction	14-15
3.2	Picture Gallery	15-17
3.3	Statistical Information	18
4	**New Module Legal Services (Multi-purpose) camp in coordination with DLSA Udham Singh Nagar.**	**19-21**
5	**Miscellaneous Programme & Activity**	**21-24**

International Youth Day (12th August, 2026)

In compliance with the **Monthly Plan of Action of Uttarakhand State Legal Services Authority (UKSLSA), Nainital**, the District Legal Services Authorities (DLSAs) across the State celebrated the **"International Youth Day"** on **12th August**, **2026.**

On the occasion of **International Youth Day**, various awareness activities were organized with the objective of promoting legal awareness among youth and sensitizing them about their rights, responsibilities and access to justice. The participants were informed about free legal aid, fundamental and legal rights and the various mechanisms available for accessing justice.



सबसे तेज प्रधान टाइम्स

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

विपुल सकलानी

हरिद्वार/ टिहरी (सबसे तेज प्रधान टाइम्स)। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/माननीय अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल श्री नितिन शर्मा जी के आदेशानुपालन में सिविल जज (सीनि0डि)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल श्री दयाराम के तत्वावधान में दिनांक 12-08-2026 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्थान अटल उत्कृष्ट राजकीय इण्टर कॉलेज, गजा, टिहरी गढ़वाल में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

विद्यालय के छात्र छात्राओं को सम्बोधित करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य युवाओं की भूमिका, उनकी समस्याओं और समाज तथा राष्ट्र के विकास में उनके योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति और भविष्य की आशा होते हैं। युवा ऊर्जा, उत्साह, रचनात्मकता और नई सोच से भरपूर होते हैं। किसी भी देश की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने युवाओं को कितने अच्छे अवसर और सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। वर्तमान समय में युवाओं के सामने बेरोजगारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, मानसिक दबाव, नशे की समस्या और कौशल विकास जैसी अनेक चुनौतियाँ हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार, परिवार, विद्यालय और समाज को मिलकर प्रयास करना आवश्यक है। साथ ही युवाओं को अपने भविष्य के साथ-साथ समाज और देश के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ अनुशासन, ईमानदारी, सामाजिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण जैसे मूल्यों को अपनाना चाहिए। अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करके वे देश को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकते हैं। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल के रिटेनर अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह मियाँ द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्य प्रणाली के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। शिविर में उपस्थित केन्द्र प्रशासक, वन स्टॉप सेण्टर, टिहरी गढ़वाल श्रीमती रश्मि बिष्ट द्वारा छात्र छात्राओं को वन स्टॉप सेण्टर की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्र श्री सोमवारी लाल सकलानी निशान्त द्वारा स्वरचित कविता वाचन के माध्यम से उपस्थित छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के महत्व के बारे में बताया गया। उक्त शिविर में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अमर देव उनियाल, अभिभावक संघ अध्यक्ष श्री राजेन्द्र खाती सहित विद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं व प्राधिकरण के अधिकार मित्र उपस्थित रहे।

During the programme, special emphasis was also laid on **NALSA's Jagriti Scheme**. The youth were sensitized about the objectives of the scheme and the importance of legal awareness and empowerment of young people. They were informed that, whenever required, they may approach the DLSA and other Legal Services Institutions for free legal aid, advice and assistance.

The participants were also sensitized on issues such as **drug abuse, cyber crimes, child and women's rights, right to education, fundamental duties and the importance of playing a positive and responsible role in society**. The programme aimed at empowering the youth by creating awareness about their legal rights and connecting them with the available legal services.



कोटद्वार 14 अगस्त 2026

दैनिक जयन्त-गढ़वा

युवा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे

कार्गिल शहीद धर्म सिंह रावत राइंकों कन्जीखाल में जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

जब्बन प्रतिनिधि। पौड़ी : खंडित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोटद्वार कल्पेश के निर्देशन में मुख्यालय को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल के तत्वावधान में कारगिल शहीद धर्म सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज कन्जीखाल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। साथ ही छात्र-छात्राओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने के लिए प्रेरित किया गया।

शिविर में छात्र-छात्राओं को विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महिला अपराध से बचाव, नशे के दुष्प्रभाव, मानव एवं वन्य जीवों संरक्षण, महिला एवं बाल संरक्षण संबंधी कानूनों तथा मालपा/छात्रा के निर्देशन में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी भी प्रकार की विधिक समस्या होने पर वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सेवा केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता एवं विधिक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही युवाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा समाज में विधिक जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में उपस्थित प्रतिभागियों को मालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के संबंध में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य किरण बाला, असिस्टेंट लीगल एंड क्लिंस काउंसिल पौड़ी विनोद कुमार, दिनेश अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह रावत, जिला परिषद्य कार्यालय से निरिक्षत डिवेड, पौड़ी अध्यक्ष एवं पूर्व कनिष्ठ प्रमुख अर्जुन सिंह पटवाल, अधिवक्ता मिस जगमोहन डंगी, अधिवक्ता मिस सजन सिंह नेगी आदि मौजूद थे।

The youth participated enthusiastically in the programme and actively engaged in the discussions and awareness activities. The observance of International Youth Day proved to be a meaningful initiative towards creating a legally aware, empowered and responsible youth community.



युवा देश की हैं ताकत : मंजू देवी

पिथौरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर सरस्वती शिशु मंदिर जाख में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी नें कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 दिसंबर वर्ष 1999 में युवा दिवस को मनाने की मंजूरी दी थी। 12 अगस्त 2000 को आधिकारिक रूप से पहला अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं की आवाज को मंच प्रदान करना, बेरोजगारी और मानसिक स्वास्थ्य आदि चुनौतियों पर चर्चा करना और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि युवा देश की ताकत हैं। संवाद



सत्य विचारों का सशक्त प्रहरी

RNI No. : UTTHIN/2020/79030

उत्तराखंड प्रभात

दैनिक समाचार पत्र

आज का विचार

युवा वही होता है जिनके हाथ में शक्ति पेरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आँखों में सपने होते हैं।

वर्ष : 06 | अंक : 210 | टनकपुर, बुधवार, 12 अगस्त 2026 | मूल्य : ₹ 3.00 | पृष्ठ : 08

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय टनकपुर में अंतराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया

न्यायिक मजिस्ट्रेट काजल रानी ने छात्राओं को दिलाई राष्ट्र निर्माण में योगदान की शपथ

उत्तराखंड प्रभात न्यूज

टनकपुर, 12 अगस्त 2026। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, टनकपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायिक मजिस्ट्रेट मान. काजल रानी जी ने की। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं, अध्यापिकाओं तथा बाह्य न्यायालय के स्टाफ ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

युवा शक्ति ही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत : काजल रानी

न्यायिक मजिस्ट्रेट काजल रानी जी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भारतवर्ष की आधी आबादी युवा है और देश के विकास तथा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विकसित राष्ट्र बनाने की दिलाई शपथ

मान. काजल रानी जी ने समस्त छात्राओं को विकसित राष्ट्र बनाने एवं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं ने खेल, युद्ध, विज्ञान, शिक्षा सहित हर क्षेत्र में अपने शौर्य, पराक्रम, ज्ञान और बुद्धिमता से देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाया है।

युवा परिवर्तन, संकल्प और राष्ट्र निर्माण का नाम

उन्होंने कहा कि युवा केवल ऊर्जा या आयु का नाम नहीं है, बल्कि युवा परिवर्तन, संकल्प, संघर्ष और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक है। राष्ट्र की असली शक्ति उसकी सेना, अर्थ व्यवस्था या प्राकृतिक संसाधनों में नहीं, बल्कि उसके युवाओं के हाथों में होती है।

युवा हैं तो...
- सपनों में उड़ान होती है।
- भारत की पहचान होती है।
- भविष्य में विश्वास है।
- राष्ट्र के विकास का प्रकाश है।

प्रश्न
- क्या राष्ट्र की शक्ति उसकी सेना में होती है?
- क्या राष्ट्र की शक्ति उसकी अर्थ व्यवस्था में होती है?
- क्या राष्ट्र की शक्ति उसके प्राकृतिक संसाधनों में होती है?

उत्तर

राष्ट्र की शक्ति उसके युवाओं के हाथों में होती है।

PLV अधिकार मित्र
- PLV अधिकार मित्र जितेंद्र अग्रवाल
- PLV अधिकार मित्र अमित कुमार
- PLV अधिकार मित्र किरण जोशी
- PLV अधिकार मित्र सुनील कुमार
- PLV अधिकार मित्र अंजू बोहरा

लाभार्थी की संख्या = 131

रिपोर्टर : शुभम गौड़

Legal Literacy And Awareness Camp Organized At Dunda On International Youth Day

- Secretary Sachin Kumar Informs Youth About Legal Rights and Free Legal Aid Provisions
- Students Sensitized Under the Theme "Different Circumstances, Shared Aspirations"

Surendra Pal Singh



Uttarkashi (The Hawk): A Legal Literacy and Awareness Camp was organized at Late Lakhiram Sajwan Government Inter College, Dunda, on the occasion of International Youth Day under the aegis of the District Legal Services Authority (DLSA), Uttarkashi. The programme was conducted in accordance with the directions of the District Judge and Chairman, District Legal Services Authority, Uttarkashi, under the NALSA (JAGRITI) Scheme-2025.

Addressing the camp, DLSA Secretary Sachin Kumar said that International Youth Day is observed every year on August 12. He informed participants that the theme for August 2026 is "Empowered Youth, Empowered India," aimed at promoting legal literacy among young people, strengthening the juvenile justice system, and safeguarding the rights of children in conflict with law. He also elaborated on legal awareness related to rehabilitation of first-time juvenile offenders, preventive measures, and early intervention mechanisms.

Sachin Kumar further stated that the global theme for International Youth Day 2026 is "Different Circumstances, Shared Aspirations," highlighting the common dreams and needs of young people across the world. He emphasized that while social and economic conditions may differ, aspirations for education, development, opportunities, and a better future remain the same. Students were also informed about their constitutional rights, duties, and the provisions available for free legal aid. Retainer Advocate Padam Datt Joshi, the school principal, teachers, students, office staff, Para Legal Volunteer Chaman Lal Shah, and other participants attended the programme. Through the awareness camp, youth were encouraged to become informed, responsible, and law-abiding citizens.

बेदखली सूचना

मेरी पुत्री गुलिस्ता व उसके पति ताजिम मेरे कहने सुनने में नहीं हैं। इसलिये मैंने अपनी पुत्री गुलिस्ता व उसके पति ताजिम से सम्बन्ध-विच्छेद कर अपनी सम्पत्ति चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है।

सूचनाकर्ता:-मौहम्मद मुरस्तकीम पुत्र मुर्सलीन, निवासी-ग्राम माधोपुर हजरतपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित



अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा के अध्यक्ष श्री श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अनामिका सिंह द्वारा किया गया।इस दौरान सचिव श्रीमती अनामिका सिंह ने विद्यार्थियों को पोक्सो अधिनियम, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अरेस्ट, घरेलू हिंसा, बाल श्रम, मानव तस्करी एवं न्याय व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी। उन्होंने जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की सहायता में युवाओं की भूमिका और भागीदारी पर भी विस्तार से प्रकाश डाला।शिविर में विद्यार्थियों ने विभिन्न कानूनी एवं सामाजिक विषयों को लेकर सवाल पूछे,जिनका सचिव द्वारा सरल भाषा में उत्तर देकर उनका मार्गदर्शन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में सोशल मीडिया के फायदे एवं नुकसान, युवा सशक्तिकरण तथा युवाओं की समस्याओं और उनके समाधान जैसे विषयों पर वाद-विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

कार्यक्रम के उपरांत पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। वहीं एनसीसी कैडेट्स द्वारा स्वच्छता अभियान चलाकर विद्यार्थियों को स्वच्छ एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।शिविर में रिटेनर अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा श्रीमती तुलसी जौहरी, उप प्रधानाचार्य नंदन सिंह बिष्ट,एकेडमिक हेड विपुल कार्की, शिक्षकगण तथा अधिकार मित्र विनीता आर्या, संदीप सिंह नयाल एवं पंकज भगत उपस्थित रहे।



ALMORA



BAGESHWAR



CHAMOLI



CHAMPAWAT



HARIDWAR



NAINITAL



PAURI GARHWAL



PITHORAGARH



RUDRAPRAYAG



TEHRI GARHWAL



UDHAM SINGH NAGAR



UTTARKASHI

स्वच्छता अभियान के साथ विद्यार्थियों ने निकाली जागरूकता रैली

रुद्रपुर/गदरपुर (संवाददाता)। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उधम सिंह नगर की सचिव ममता पंत के निर्देशन में गुलरभोज में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को साइबर अपराधों से बचाव, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक करना रहा। सिंचाई विभाग के सहयोग एवं नगर पालिका के समन्वय से गुलरभोज डैम क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान डैम परिसर एवं आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई की गई तथा लोगों को स्वच्छता बनाए रखने, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्थलों



को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए अज्ञात लिंक पर क्लिक नहीं करने, ओटीपी, पासवर्ड, बैंक खाते अथवा एटीएम संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करने की सलाह दी गई। साइबर ठगी होने की स्थिति में तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम के उपरांत जिज्ञासा पब्लिक स्कूल, एनके इंटर कॉलेज तथा जेके कॉन्वेंट स्कूल गुलरभोज के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने करीब एक किलोमीटर लंबी साइबर सुरक्षा एवं स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली। रैली विद्यालय परिसर से शुरू होकर गुलरभोज क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। विद्यार्थियों ने हाथों में जागरूकता संबंधी तख्तियां और बैनर लेकर साइबर सुरक्षा एवं स्वच्छता से जुड़े नारे लगाए और आमजन को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार तथा स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। कार्यक्रम में विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र छात्राएं, सिंचाई विभाग एवं नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी तथा क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अंत में सभी प्रतिभागियों ने सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने, साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर डुंडा में लगा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर

अलग परिस्थितियां, समान आकांक्षाएं थीम के तहत युवाओं को किया जागरूक





ग्राम्य गाथा संवाददाता

उत्तरकाशी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्व. लाखीराम सजवाण राजकीय इंटर कॉलेज, डुंडा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नालसा (जागृति) योजना-2025 के अंतर्गत जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के निर्देशानुसार किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिन कुमार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि अगस्त 2026 के लिए "सशक्त युवा, सशक्त भारत" विषय निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं में कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देना, किशोर न्याय व्यवस्था को मजबूत करना तथा कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोरों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने पहली बार अपराध करने वाले किशोरों के पुनर्वास, निवारक उपायों तथा प्रारंभिक हस्तक्षेप संबंधी कानूनी जागरूकता पर भी विस्तार से जानकारी दी। सचिन कुमार ने बताया कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की वैश्विक थीम "अलग परिस्थितियां, समान आकांक्षाएं" है, जो दुनिया भर के युवाओं के साझा सपनों और आवश्यकताओं को रेखांकित करती है। उन्होंने कहा कि युवाओं की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन उनके विकास, शिक्षा, अवसर और बेहतर भविष्य की आकांक्षाएं समान हैं। इस अवसर पर विद्यार्थियों को उनके संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में रिटेनर अधिवक्ता पद्म दत्त जोशी, विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं, कार्यालय कर्मचारी, पराविधिक कार्यकर्ता चम्पा लाल शाह एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। जागरूकता शिविर के माध्यम से युवाओं को कानून की जानकारी देकर उन्हें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया।

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर छात्राओं ने लिया राष्ट्र निर्माण का संकल्प

मुरादाबाद न्यूज प्राइम /विनोद जोशी

टनकपुर। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय टनकपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट काजल रानी के नेतृत्व में प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं, अध्यापिकाओं तथा बा न्यायालय के स्टाफ ने सहभागिता की। कार्यक्रम में कुल 131 लाभार्थी शामिल हुए।



न्यायिक मजिस्ट्रेट काजल रानी ने छात्राओं को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के महत्व की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2000 से प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है और राष्ट्र के विकास में युवाओं की भूमिका निर्णायक है। उन्होंने छात्राओं को विकसित राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्रहित में अपना योगदान देने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं ने खेल, विज्ञान, शिक्षा, रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा, ज्ञान, साहस और पराक्रम से देश का गौरव बढ़ाया है। कार्यक्रम में छात्राओं को संदेश दिया गया कि युवा केवल ऊर्जा और उम्र का नाम नहीं, बल्कि परिवर्तन, संकल्प, संघर्ष और राष्ट्र निर्माण की शक्ति हैं। युवाओं के सपनों, सकारात्मक सोच और मेहनत से ही देश को नई दिशा और गति मिल सकती है। इस दौरान प्रेरणादायी संदेश दिया गया– ह्यूवा हैं तो सपनों में उड़ान है, युवा हैं तो भारत की पहचान है, युवा हैं तो भविष्य में विश्वास है और युवा हैं तो राष्ट्र के विकास का प्रकाश है। कार्यक्रम में ढछश्र अधिकार मित्र विजेंद्र अग्रवाल, अमित कुमार, किरन जोशी, सुनील कुमार और अंजू बोहरा सहित विद्यालय की छात्राएं एवं स्टाफ मौजूद रहे। संदेश स्पष्ट रहा–राष्ट्र की असली शक्ति केवल उसकी सेना, अर्थव्यवस्था या प्राकृतिक संसाधनों में नहीं, बल्कि उसके जागरूक, शिक्षित, संस्कारित और संकल्पित युवाओं के हाथों में होती है।

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर छात्राओं ने लिया राष्ट्र निर्माण का संकल्प

मुरादाबाद न्यूज प्राइम /विनोद जोशी

टनकपुर। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय टनकपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट काजल रानी के नेतृत्व में प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं, अध्यापिकाओं तथा बा न्यायालय के स्टाफ ने सहभागिता की। कार्यक्रम में कुल 131 लाभार्थी शामिल हुए।



न्यायिक मजिस्ट्रेट काजल रानी ने छात्राओं को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के महत्व की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2000 से प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है और राष्ट्र के विकास में युवाओं की भूमिका निर्णायक है। उन्होंने छात्राओं को विकसित राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्रहित में अपना योगदान देने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं ने खेल, विज्ञान, शिक्षा, रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा, ज्ञान, साहस और पराक्रम से देश का गौरव बढ़ाया है। कार्यक्रम में छात्राओं को संदेश दिया गया कि युवा केवल ऊर्जा और उम्र का नाम नहीं, बल्कि परिवर्तन, संकल्प, संघर्ष और राष्ट्र निर्माण की शक्ति हैं। युवाओं के सपनों, सकारात्मक सोच और मेहनत से ही देश को नई दिशा और गति मिल सकती है। इस दौरान प्रेरणादायी संदेश दिया गया– ह्यूवा हैं तो सपनों में उड़ान है, युवा हैं तो भारत की पहचान है, युवा हैं तो भविष्य में विश्वास है और युवा हैं तो राष्ट्र के विकास का प्रकाश है। कार्यक्रम में ढछश्र अधिकार मित्र विजेंद्र अग्रवाल, अमित कुमार, किरन जोशी, सुनील कुमार और अंजू बोहरा सहित विद्यालय की छात्राएं एवं स्टाफ मौजूद रहे। संदेश स्पष्ट रहा–राष्ट्र की असली शक्ति केवल उसकी सेना, अर्थव्यवस्था या प्राकृतिक संसाधनों में नहीं, बल्कि उसके जागरूक, शिक्षित, संस्कारित और संकल्पित युवाओं के हाथों में होती है।

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर

शाह टाइम्स संवाददाता

रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के प्लान ऑफ एक्शन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग की ओर से अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।



जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग नीना अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में छात्र-छात्राओं और आमजन को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। शिविर की अध्यक्षता सचिव/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग ने की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को वर्तमान समय में सामने आ रही विभिन्न कानूनी चुनौतियों के प्रति जागरूक करना और उन्हें अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की जानकारी उपलब्ध कराना रहा।

इस दौरान साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं और आमजन को ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी लिंक, साइबर ठगी, सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराध तथा निजी एवं गोपनीय जानकारी अनजान व्यक्तियों के साथ साझा करने से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से बताया गया। साइबर अपराध का शिकार होने पर तत्काल शिकायत दर्ज कराने तथा ऑनलाइन गतिविधियों में सतर्कता बरतने की अपील की गई। रिटेनर अधिवक्ता श्रीमती यशोदा खत्री ने छात्र-छात्राओं एवं आमजन को विभिन्न विधिक विषयों की सरल और व्यवहारिक जानकारी दी तथा उनकी विधिक जिज्ञासाओं का समाधान किया। शिविर में विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, छात्र-छात्राएं और आमजन मौजूद रहे।

दैनिक ग्राम्य गाथा | विविध | उत्तरकाशी: गुरुवार 13 अगस्त 2026 | 4

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर तिलोथ छात्रावास में लगा विधिक जागरूकता शिविर

- युवाओं को कानूनी अधिकारों, पॉश और पोक्सो अधिनियम की दी जानकारी
- स्वच्छता अभियान, क्विज प्रतियोगिता और तिरंगा वितरण के साथ मनाया युवा दिवस





ग्राम्य गाथा संवाददाता

उत्तरकाशी। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी एवं नेहरू युवा केंद्र, उत्तरकाशी के संयुक्त तत्वावधान में डी. भीमराव अंबेडकर राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय छात्रावास, तिलोथ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर के साथ स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ स्वच्छता, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता छात्रावास अधीक्षक भूपेंद्र मेहर ने की। छात्रावास में निवासरत युवाओं से पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और स्वच्छता अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सभी छात्रों को स्वच्छता बनाए रखने एवं स्वच्छ वातावरण के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की शपथ भी दिलाई गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्राधिकरण कार्यकर्ता शंकर गुसाईं ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, उद्देश्यों तथा आमजन को उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं की जानकारी दी। पीएलवी राकेश रतूड़ी ने छात्रों, शारदा एवं नारकंडा द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और निःशुल्क विधिक सेवाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यक्रम एवं महत्वपूर्ण कानूनी (पोक्सो) अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। इस महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए कानूनी प्रावधानों को समझाया।

पीएलवी अतिति ने छात्रों को पोक्सो अधिनियम, बच्चों के अधिकारों और उनके संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां प्रदान कीं। उन्होंने बाल सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए छात्रों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। वहीं नेहरू युवा भारत केंद्र की ओर से जेवेड ने युवाओं के लिए संचालित विभिन्न जागरूकता, नेतृत्व विकास एवं सहभागिता कार्यक्रमों की जानकारी साझा की और युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

विधिक जागरूकता कार्यक्रम के उपरांत नेहरू युवा भारत केंद्र, उत्तरकाशी द्वारा छात्रावास के विद्यार्थियों के बीच एक रोचक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं के ज्ञान, जागरूकता और सहभागिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया।

कार्यक्रम के अवसर पर छा.छा. तिलोथ अभियान के अंतर्गत छात्रावास के विद्यार्थियों को राष्ट्रध्वज वितरित किए गए। उपस्थित सभी छात्रों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय एकता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की गई।

इस अवसर पर पीएलवी मनीषा देवी, पूजा भट्ट, छात्रावास के छात्र, छात्रावास स्टाफ सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में युवाओं को कानूनी बाध से सशक्त बनाने, स्वच्छता के प्रति जागरूक करने तथा समाज और राष्ट्र के प्रति उनके दायित्वों का बोध कराने पर विशेष जोर दिया गया।

As per the Data received from DLSAs, the consolidated report is as under:

S.N.	Particulars	Report
1	Total No. of awareness programmes/camps organized.	542
2	Total No. of Seminar/Workshops organised.	44
3	Total No. of Rallies/Street plays organised.	51
4	No. of Interactive Sessions online financial Scams & Digital Privacy programme organised.	23
5	No. of participants/beneficiaries (for Sr. No. 1 to 4).	23881
6	No. of Institutions/Organizations Associated.	275
7	No. of JAGRITI Units/PLVs Involved.	115
8	Themes/Legal Issues Covered	Legal Rights of Young Person, Juvenile Justice Aid, Access to Justice, Cyber Safety, AI-enabled Frauds, Deepfakes & Cyber, Online Financial Scams Impersonation, Digital Privacy.
9	Social Media Dissemination.	#NALSAJAGRITI #EmpoweredYouthStrongerIndia
10	Total No. of Social Media Updates.	112
11	Any other relevant point.	Conducted district-wise special awareness drives across Tehsils of all district, District jails, Panchayat Bhawan, Aganwadi Centres, Community Health Centres and Public hubs etc.
12	Remark/Additional Information.	Comprehensive activity report compiled along with photographs.

Independence Day (15th August,2026)

In compliance with the **Monthly Plan of Action of Uttarakhand State Legal Services Authority (UKSLSA), Nainital**, the District Legal Services Authorities (DLSAs) across the State celebrated the **"Independence Day"** on **15h August**, **2026.**

The **District Legal Services Authorities (DLSAs)** across the State organized various programmes and legal awareness activities with the objective of promoting legal literacy, ensuring access to justice and creating awareness among the general public regarding their legal rights and entitlements.



HARIDWAR MEGA CYCLE RALLY

As part of these activities, **flag-hoisting programmes** were organized on the occasion, wherein the persons present were sensitized about the importance of **constitutional values, access to justice, free legal aid and the role and contribution of youth in the national interest**. Awareness was also created regarding the various legal services and facilities available to persons belonging to vulnerable and weaker sections of society.

On the said occasion, **a total of 307 legal awareness camps were organized by PLVs**, in which **20473 persons participated**.

The activities undertaken by the DLSAs were aimed at strengthening legal awareness at the grassroots level and ensuring that the benefits of legal services reach the needy and disadvantaged sections of society. The programmes also emphasized the importance of active participation of citizens, particularly youth, in promoting justice, equality and the objectives of the Constitution.



न्यायालय परिसर समेत विभिन्न स्थानों पर धूमधाम से मनाया स्वतंत्रता दिवस

ईएमए कैंपस में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस



जिला न्यायालय परिसर में किया ध्वजारोहण

पिथौरागढ़। स्वतंत्रता दिवस पर जिला व सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने ध्वजारोहण किया। यहां बार एसोसिएशन अध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंजू देवी, सिविल जज सीनियर डिवीजन रमेश चंद्र सिविल जज जूनियर डिवीजन शिव सिंह आदि थे।



जिला न्यायालय परिसर उत्तरकाशी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। जिला जज मलिक मजहर सुल्तान ने ध्वजारोहण करते हुये दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी।

ziddikalam August 16, 2026 9:28 am No Comments

230 Views

चैन सिंह असवाल सम्पादक

जिद्दी कलम

उत्तरकाशी

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर उत्तरकाशी में भी देश भक्ति का रंग खूब देखने को मिला। जिला जज मलि
मजहर सुल्तान ने ध्वजारोहण किया इस दौरान पुलिस ने राष्ट्रीय सलामी देते हुये न्यायालय परिसर में उपस्थित अधिवक्ताओं कर्मचारियों
प्राविधिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगान का गायन करते हुये देश के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किये तत्पश्चात जिला जज मलिक
मजहर सुल्तान की अध्यक्षता में जिला जज्जी सभागार में अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं
न्यायालय कर्मचारी गणों तथा प्राविधिक कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया।
संगठन की ओरसे अधिवक्ता आशीष सेमवाल, जयप्रकाश नौटियाल, आनंद सिंह पवार ने अपने अपने विचार रखे । अधिवक्ता अभय
बिष्ट ने भारत की आजादी को रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया तो वही महिला प्राविधिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगीत के माध्यम से स्वतंत्र
दिवस पर अपने विचार रखें ।



स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर निकली तिरंगा यात्रा

By Adminvn — Last updated Aug 15, 2026

उत्तराखंड देहरादून

Share 274K 0

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के नेतृत्व में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिला जज हरीश कुमार गोयल के मार्गदर्शन में आयोजित इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रप्रेम और संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।



ALMORA



BAGESHWAR



CHAMOLI



CHAMPAWAT



DEHRADUN



NAINITAL



PAURI GARHWAL



PITHORAGARH



RUDRAPRAYAG



TEHRI GARHWAL



UDHAM SINGH NAGAR



UTTARKASHI

As per the Data received from DLSAs, the consolidated report is as under:

S.N	District	Place	Total No. of Person Attented	Remark
1	Almora	District Court Alomora	4836	Total 116 places covered by PLVs. A tree plantation drive was conducted with an informative session for the students coving various topics.
2	Bageshwar	Saraswati sishu Mandir Chorasi	58	Legal awareness programme was held on the eve of Independence day.
3	Chamoli	Court campus Gopeshwar & Kendriya Vidhylay Gopeshwar.	2410	Total 75 places covered by PLVs, Legal literacy and awareness camp organised.
4	Champawat	Court Campus Nainital.	646	Total 21 places covered by PLVs, Legal literacy and awareness camp.
5	Dehradun	At various Places	630	Total 14 places covered by PLVs, Legal literacy and awareness camp.
6	Haridwar	At Court Premises.	8956	Quiz competition and Plantation Drive.
7	Nainital	At Court Campus.	544	Essay, Debates Competition. Total 10 places covered by PLVs.
8	Pauri Garhwal	District Court Pauri Garhwal	1496	Total 27 places covered by PLVs, legal literacy and awareness camp was organised.
9	Pithoragarh	District Court, Pithoragarh and Tehsil Gangolihaat, Didihaat.	209	Awareness about National anthem and National song, both symbolize the national unity, integrity, patriotism and spirit of independence.
10	Rudraprayag	District Court Campus, Rudraprayag.	125	Flag hoisting and various legal awareness programmes by PLVs.
11	Tehri Garhwal	Court Campus, Tehri Garhwal	82	Legal literacy and legal awareness programme organised.
12	Udam Singh Nagar	Kids Play School Bhadaipur	150	Flag hoisting and various legal awareness programmes by PLVs.
13	Uttarkashi	At various places.	431	Total 54 places covered by PLVs and Legal literacy and legal awareness programme.

WORLD HUMANITARIAN DAY(19th August, 2026)

In compliance with the directions of the Hon'ble Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital and under the **Plan of Action – August 2026**, District Legal Services Authority (DLSAs) organized legal awareness programmes on **19th August, 2026** on the occasion of **"World Humanitarian Day"**.

The main objective of the programme was to create awareness among the general public, particularly vulnerable and marginalized sections of society, regarding their **legal rights, availability of free legal aid, legal advice and access to justice**. The programmes also aimed to promote the values of humanity, compassion, equality, brotherhood and social responsibility.



विश्व मानवतावादी दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

रूद्र टाइम्स गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)। विश्व मानवतावादी दिवस के अवसर पर तहसील विधिक सेवा समिति गंगोलीहाट की ओर से तहसील एवं सिविल न्यायालय परिसर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता सिविल जज रजनीश मोहन ने की। इस दौरान सिविल जज ने वैश्विक संघर्षों एवं आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पर विचार रखे। बार अध्यक्ष जेएसओ मेहरा, सचिव मनोज सिंह रावल, वरिष्ठ अधिवक्तागण सुनील कुमार बोहरा, विजय पन्त, देव सिंह रावल सहित न्यायालय एवं पुलिस विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में करीब 30–35 लोगों ने प्रतिभाग किया।



Home / Uncategorized

विश्व मानवीय दिवस पर एक शिविर का आयोजन किया गया

'माटी की खबरें' डेस्क August 19, 2026

देहरादून । बुधवार को विश्व मानवीय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की आदेश अनुसार एवं सचिव महोदया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के निर्देशन में प्राविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत द्वारा स्थानीय बीएस नेगी पॉलिटेक्निक कॉलेजगढ़ रोड देहरादून में उपरोक्त दिवस पर एक शिविर आयोजित किया गया शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सीमा डूंगरा कोटी जी ने प्रतिभाग किया। उन्होंने छात्राओं का आह्वान किया कि विश्व मानवीय दिवस हमें यह याद दिलाता है कि मानवता एक भावना नहीं अपितु एक जिम्मेदारी भी है। जब कोई व्यक्ति बाढ़, भूकंप, बादल फटना या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार होता है तब उसकी पीड़ा केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहती। उसके लिए अपना घर परिवार ,आजीविका ,स्वास्थ्य और कई प्रकार के अपने कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखने की चुनौती भी रहती है। उपरोक्त सभी आपदाओं के समय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपदा प्रभित लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। प्राविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत द्वारा कॉलेज की छात्राओं को जिला विधिक सेवा से मिलने वाली निशुल्क सेवाओं की जानकारी दी गई तथा नालसा टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में भी बताया गया। शिविर में इस अवसर पर कॉलेज की प्रधानाचार्या श्रीमती नमिता संगवाई, अध्यापिका पूनम भंडारी तथा अन्य शिक्षिकाओं सहित कॉलेज की 200 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। उमेश्वर सिंह रावत प्राविधिक कार्यकर्ता देहरादून

ADVERTISEMENT

During the programmes, the participants were informed that **no person should be deprived of justice merely because of financial or social difficulties**. Eligible persons can avail themselves of **free legal aid, legal advice and assistance of an advocate** through DLSA.

The participants were also informed about the assistance available to persons affected by disasters, particularly in relation to their **legal rights, relief and rehabilitation**. They were encouraged to extend co-operation and assistance to persons in need and to promote brotherhood, harmony and goodwill in society.

The legal awareness programmes organized on the occasion of World Humanitarian Day provided an effective platform for reaching out to vulnerable, disadvantaged and needy sections of society and making them aware of their **legal rights and the availability of free legal services**. The programmes successfully promoted the values of humanity, compassion, equality, brotherhood and social responsibility and conveyed the message that **financial or social difficulties should never prevent a person from accessing justice**.



BAGESHWAR



CHAMOLI





CHAMPAWAT



DEHRADUN



HARIDWAR

NAINITAL





PAURI GARHWAL

PITHORAGARH





RUDRAPRAYAG



TEHRI GARHWAL



UDHAM SINGH NAGAR

विश्व मानवीय दिवस के अवसर पर शिविर आयोजित



देहरादून, संवाददाता। विश्व मानवीय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की आदेश अनुसार एवं सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के निर्देशन में प्राधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत द्वारा स्थानीय बीएस नेगी पॉलिटेक्निक कॉलेजपुर रोड देहरादून में उपरोक्त दिवस पर एक शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सीमा दुग्गा कोटी जी ने प्रतिभाग किया। उन्होंने छात्राओं का आह्वान किया कि विश्व मानवीय दिवस हमें यह याद दिलाता है कि मानवता एक भावना नहीं अपितु एक जिम्मेदारी भी है। जब कोई व्यक्ति बाढ़, भूकंप, बादल फटना या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार होता है तब उसकी पीड़ा केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहती। उसके लिए अपना घर परिवार ,आजीविका ,स्वास्थ्य और कई प्रकार के अपने कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखने की चुनौती भी रहती है। उपरोक्त सभी आपदाओं के समय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपदा ग्रसित लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। प्राधिकार कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत द्वारा कॉलेज की छात्राओं को जिला विधिक सेवा से मिलने वाली निशुल्क सेवाओं की जानकारी दी गई तथा नालसा टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में भी बताया गया। शिविर में इस अवसर पर कॉलेज की प्रधानाचार्या श्रीमती नमिता ममगाई, अध्यापिका पूनम भंडारी तथा अन्य शिक्षिकाओं सहित कॉलेज की 200 छात्राओं ने प्रतिभाग किया।

स्वामी, प्रकाशक और मुद्रक नीतू सिंह द्वारा 1/7 हरिद्वार रोड, देहरादून उत्तराखंड से प्रकाशित एवं जनभारत प्रेस 1/7 हरिद्वार रोड, देहरादून से मुद्रित। संपादक- गुरदीप सिंह। RNI No UTTHIN/2009/28642
टेलीफोन 0135-2621611,2721611 फैक्स 0135-2521611, e-mail : janbharatmail@gmail.com किसी भी प्रकार के वाद आदि का न्याय क्षेत्र देहरादून ही रहेगा।



हल्द्वानी, 20 अगस्त, 2026 दैनिक जागरण 7

विश्व मानवतावादी दिवस पर लगाया विधिक साक्षरता शिविर

गंगोलीहाट में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद न्यायिक अधिकारी व अन्य • जागरण

• सिविल जज रजनीश मोहन की अध्यक्षता में शिविर आयोजित
• आपदा प्रभावित लोगों की सहायता व मानवतावादी मूल्यों पर रखे विचार

अवसर पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष जेएस मेहरा, सचिव मनोज सिंह रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार जोशा, विजय पंत, देव सिंह रावत, संजय कुमार पाठक, राजेंद्र सिंह ऐर, मनोज भट्ट, ज्योति, प्रकाश चंद्र आर्या, विनोद कुमार आदि मौजूद थे।

इस दौरान उन्होंने 'विश्वके संघर्षों एवं आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता और मानवतावादी मूल्यों के महत्व पर अपने विचार रखे। इस

विश्व मानवतावादी दिवस पर टनकपुर में विधिक जागरूकता शिविर, आपदा पीड़ितों से लेकर साइबर अपराध तक दी गई जानकारी

मुरादाबाद न्यूज प्राइम /विनोद जोशी



टनकपुर। विश्व मानवतावादी दिवस के अवसर पर बुधवार को टनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्पावत के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के दिशा-निर्देशों एवं प्लान ऑफ एक्शन के तहत आयोजित शिविर में आमजन को उनके विधिक अधिकारों के साथ-साथ मौजूदा समय की गंभीर चुनौतियों के प्रति जागरूक किया गया। शिविर में पीएलवी (अधिकार मित्र) द्वारा आपदा पीड़ितों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए उपलब्ध विधिक सहायता, जागृति योजना-2025 के तहत सशक्त भारत अभियान, साइबर सुरक्षा, एआई-सक्षम धोखाधड़ी, डीपफेक से जुड़े अपराध तथा किशोर न्याय अधिनियम-2015 के संबंध में महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी गई। लोगों को साइबर ठगी के नए तरीकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना संबंधित एजेंसियों को देने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में विश्व मानवतावादी दिवस के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। बताया गया कि प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाने वाला यह दिवस मानवता, करुणा, सहयोग और निस्वार्थ सेवा की भावना को समर्पित है। युद्ध, प्राकृतिक आपदा, बीमारी और अन्य संकटों से प्रभावित लोगों की सहायता तथा उनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। शिविर के दौरान नशे के दुष्परिणामों और इससे होने वाली गंभीर एवं घातक बीमारियों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। युवाओं को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा समाज को नशामुक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हुए नशा न करने का संकल्प दिलाया गया।

शिविर में पीएलवी (अधिकार मित्र) शमशाद बानो, राधिका अधिकारी, कुंवर सिंह भंडारी, प्रियंका पचौली, कमला जोशी एवं इजहार अली ने प्रतिभाग कर लोगों को विधिक जानकारी एवं जागरूकता प्रदान की।

कार्यक्रम का मुख्य संदेश रहा कि कानूनी जानकारी और मानवीय संवेदनशीलता ही संकटग्रस्त व्यक्ति को न्याय, सुरक्षा और सम्मान तक पहुंचाने का मजबूत माध्यम है।

As per the Data received from DLSAs, the consolidated report is as under:

S.N	District	Place	Total No. of Person Attented	Remark
1	Almora	online	954	Total 63 places covered by PLVs. Ttendees were informed about various scheme and provided with pamphlets.
2	Bageshwar	Village Parena	42	About NALSA's DAWN scheme and Cyber crime awareness.
3	Chamoli	Sh. Guru Ram Rai Public School, Gopeshwar.	1182	Total 35 places covered by PLVs. Organised legal literacy & awareness camps.
4	Champawat	At Various places.	782	Total 24 places covered by PLVs. Legal literacy and awareness camp.
5	Dehradun	At Various places.	2550	Total 50 places covered by PLVs. Legal literacy and awareness camp.
6	Haridwar	At Various places.	1295	Total 62 places covered by PLVs. Legal rights sessions in disaster- affected area, discussion on mediation and awareness programme.
7	Nainital	Govt. Inter College, Ratighat, Nainital.	836	Total 18 places covered by PLVs. Awareness about NALSA's DAWN scheme and Cyber crime.
8	Pauri Garhwal	At Various Places.	242	Total 5 places covered by PLVs. Legal literacy and awareness camp.
9	Pithoragarh	Dev singh Daseela , rajkiya balika inter college, Didihaat.	267	Legal literacy and awareness camps were organised by PLVs.
10	Rudraprayag	At Various Places.	541	Total 19 places covered by PLVs. Legal literacy and awareness camps were organised by PLVs.
11	Tehri Garhwal	Surkanda Inter College, Tehri Garhwal.	96	Legal literacy and awareness camps were organised by PLVs.About NALSA's DAWN scheme and Cyber crime awareness.
12	Udam Singh Nagar	-	-	-
13	Uttarkashi	At Various Places	691	Total 67 places covered by PLVs. Awareness about NALSA's DAWN scheme and Cyber crime.

Multipurpose Camps (2nd August, 2026)

On **2nd August, 2026** under the chairmanship of Hon'ble Shri Justice Manoj Kumar Tiwari, Senior Judge, Hon'ble High Court of Uttarakhand and Executive Chairman, SLSA, Hon'ble Shri Justice Rakesh Thapliyal, Hon'ble High Court of Uttarakhand, Administrative Judge, Udham Singh Nagar, and Hon'ble Justice Shri Alok Mahara, Judge, High Court of Uttarakhand, organized a **Multi-Purpose Camp at G.B. Pant University, Pantnagar, Udham Singh Nagar**.

The Multi-Purpose Camp was organized under the **Jagriti and Dawn Schemes of NALSA**. The camp commenced at **10:00 A.M.** Various departments and organizations participated through their respective stalls and provided information and assistance to the general public.

The participating departments/organizations included:

- Social Welfare Department
- SDRF, Medical Department
- Udyan Vibhag, Sub-Jail Haldwani
- Central Jail Haldwani
- Food Supply Department
- Animal Husbandry Department





The following services and assistance were also provided:

- **115 patients** underwent medical examination/full-body check-up,
- **21 Ayushman Cards** were prepared,
- **10 disability certificates** were made,
- **13 Pariwar Registers** were prepared,

- **150 people** were provided training in **disaster managemen**t.

Outcome of Camp

The camp also served as a platform for disseminating information regarding government benefits, certification procedures, legal services and welfare schemes. The beneficiaries were benefited from the services provided, while the participating students and members of the public were motivated by the addresses of the Hon'ble Judges and other dignitaries.



हिन्दी सान्ध्य दैनिक 'उत्तरांचल दर्पण' जय बाबा की ऊधमसिंहनगर,सोमवार,3 अगस्त 2026 4

बहुउद्देशीय शिविर में पात्रों को मिला योजनाओं का लाभ

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। जनपद ऊधम सिंह नगर में बहुउद्देशीय जनकल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल, प्रशासनिक न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय तथा विशेष अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति आलोक मेहरा, न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रदीप मनी उपस्थित रहे।कार्यक्रम में लगभग 1500 लोगों ने सहभागिता कर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई तथा पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम के दौरान केवीएस प्रीमियर फाउंडेशन द्वारा दानस्वरूप उपलब्ध कराई गई 15 साइकिलों का पात्र लाभार्थियों को वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त 5 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर प्रदान की गई। सार्थक फ्यूचर फाउंडेशन द्वारा एसटीएम स्कूल, बाजपुर को एक कम्प्यूटर एवं एक प्रिंटर भेंट किया गया। वहीं न्याय दर्पण सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को 50 स्टडी टेबल दानस्वरूप वितरित की गई। साथ ही श्रवण एवं वाणी बाधित 8 बच्चों का चयन कर उन्हें आवश्यक श्रवण यंत्र उपलब्ध कराए गए।शिविर में 10 श्रमिकों को लेबर किट, 11 महिलाओं को महालक्ष्मी किट प्रदान की गई। मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 4 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा 2 शिशुओं का अन्नप्राशन सम्पन्न कराया गया। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को डेटॉल हाइजीन किट वितरित की गई तथा नेस्ले इंडिया के सहयोग से बच्चों को पोषण किट भी प्रदान की गई।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाए गए विधिक जागरूकता एवं नि:शुल्क विधिक सहायता स्टॉल पर पैरालीगल वालंटियर्स ने आमजन को नि:शुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता, लोक अदालत, महिला एवं बाल अधिकार, साइबर अपराध, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार तथा विभिन्न विधिक योजनाओं की जानकारी प्रदान की। शिविर में पंचायती राज विभाग ने 20, होम्योपैथिक विभाग ने 77, राजस्व विभाग ने 20, नारी शक्ति विभाग ने 12, विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में 11, उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन/विद्युत वितरण एवं शिक्षा विभाग ने 30, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 80, मत्स्य विभाग ने 6, पशुपालन विभाग ने 67, समाज कल्याण विभाग ने 65, विद्यालय शिक्षा विभाग ने 30, जनजाति कल्याण विभाग ने 7, गन्ना विकास विभाग ने 15, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 27 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया तथा 115 नए आयुष्मान कार्ड पंजीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त उपकारागार हल्द्वानी द्वारा भी स्टॉल लगाकर बंदियों के पुनर्वास एवं विधिक सहायता संबंधी जानकारी प्रदान की गई। अन्य विभागों द्वारा भी अनेक पात्र लाभार्थियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल तथा न्यायमूर्ति आलोक मेहरा द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण किया गया व उपस्थित जनसमुदाय से अधिकाधिक पौधारोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया गया। बहुउद्देशीय शिविर का उद्देश्य शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर आमजन तक पहुँचाना, पात्र लाभार्थियों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना, विधिक जागरूकता को बढ़ावा देना तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुँच सुनिश्चित करना रहा। कार्यक्रम का सफल आयोजन जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विभिन्न विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं पैरालीगल वालंटियर्स के समन्वित प्रयासों से सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

जनता दरबार में कैबिनेट मंत्री कैडा ने सुलझाई कई समस्याएं

The Multi-Purpose Camp organized at G.B. Pant University, Pantnagar, was a significant initiative towards ensuring **grassroots-level access to justice, legal awareness, government welfare schemes and essential public services**. The participation of various departments and organizations helped establish greater coordination for extending services to the public.

The camp, therefore, contributed meaningfully towards the objectives of the **Jagriti and Dawn Schemes of NALSA** and the broader mandate of the **DLSA** to facilitate access to justice and welfare services for all sections of society.



- Cycles distributed to girls- 15
- Wheelchairs distributed-1
- Phones distributed-2

- Labour kits-1
- Computer distributed to school-1
- Mahalaxmi Kits-10
- God Bharai Kits-4





- Dettol sanitation kits to Van Gujjar community-25
- Study tables for students-20

- Garden Kits-30
- Other impairment kits-10
- School bags- Distributed



Miscellaneous Programmes & Activities













आरएनआई नं० UTTHIN/2002/9015 उत्तराखण्ड एवं उप्र से एक साथ प्रकाशित प्रत्येक सोमवार को प्रकाशित डाक पंजीयन संख्या – UP/MRD DN-92/2024-26

संस्थापक : शिशिर कुमार गुप्ता एवं स्वा श्रीमती उषा अग्रवाल

कहन सुनन

केन्द्रीय एवं उत्तराखण्ड सरकार से विज्ञापनों के लिये मान्यता प्राप्त हिन्दी साप्ताहिक

सम्पादक: दीप्ति गर्ग M 9412141745 सह सम्पादक (अवैतनिक)–नसीरुल हसन M 9917449132

वर्ष : 24 अंक : 35 काशीपुर (उत्तराखण्ड) सोमवार 31 अगस्त 2026 कुल मुद्रित पृष्ठ : 04 मूल्य 50 पैसे प्रति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा वानप्रस्थ आश्रम एवं हेलोनिक्स कंपनी हरिद्वार में मनाया विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस



कहन सुनन

हरिद्वार–माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार श्री नरेन्द्र दत्त जी के आदेशानुसार वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर,हरिद्वार में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का भव्य आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार श्रीमती सिमरनजीत कौर उपस्थित रहीं, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आश्रम में रह रहे बुजुर्गों एवं वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकारों की विस्तार जानकारी दी, साथ ही सचिव महोदया ने बताया कि किसी भी विधिक समस्या या सहायता के लिए बुजुर्ग नालसा हैल्पलाइन नंबर 15100 या कार्यालय में संपर्क कर निःशुल्क कानूनी सलाह ले सकते हैं। कार्यक्रम में वानप्रस्थ आश्रम के पदाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के अधिकार मित्र तथा बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे।

इसी क्रम में सिडकुल स्थित हेलोनिक्स कंपनी में भी भव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, कार्यक्रम के दौरान उपस्थित वरिष्ठ कार्मिकों एवं कर्मचारियों को माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकारों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान सचिव महोदया ने अवगत कराया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ नागरिकों एवं असहाय व्यक्तियों को त्वरित एवं निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

इसी के साथ–साथ इस प्राधिकरण के अंतर्गत आज जनपद हरिद्वार में विभिन्न स्थानों पर वरिष्ठ नागरिकों के साथ विश्व नागरिक दिवस मनाया गया।

माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखण्ड नैनीताल के निर्देशानुसार स्थाई लोक अदालत हरिद्वार द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन





कहन सुनन

हरिद्वार–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार, ए०डी०आर०सम्मन योजनानाद में स्थाई लोक अदालत हरिद्वार की अध्यक्ष श्रीमती नीतू जोशी जी(न्यायाधीश एक्जीक्यूएस) के द्वारा अधिकार मित्रों के लिए स्थाई लोक अदालत की कार्यप्रणाली के संबंध में एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती नीतू जोशी व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार श्रीमती सिमरनजीत कौर द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा अपने व्याख्यान द्वारा अधिकार मित्रों को स्थाई लोक अदालत की कार्यप्रणाली, शैक्षाधिकार व वाद दायर करने संबंधित जानकारी प्रदान कराते हुए बताया कि स्थाई लोक अदालत में सभी पब्लिक यूटिलिटि सर्विस(लोक उपयोगी सेवा) से संबंधित मामले जिनमें सम्बन्धित विभाग की सेवाओं में कमी हो और जिनका मूल्यांकन एक करोड़ रूपये तक हो, वाद जो किसी अन्य न्यायालय के समक्ष दायर नहीं किये गये हो, ऐसे वाद स्थाई लोक अदालत में निपटाये जाते है। लोक उपयोगी सेवा में जैसे– वायु, सड़क, जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वाहन के लिए यातायात सेवा, डाक या तार या टेलिफोन सेवा, ऐसा संस्थान जो जनता को विद्युत प्रकाश या जल प्रदान करता है, लोक सफाई या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल व औषधालय में सेवा, बीमा सेवा और बैंकिंग सेवा, शैक्षिक व तौक्षणिक संस्थानों, आवास व भू संपदा सेवा आदि से विवाद के संबंध में मामले दायर किये जा सकते हैं, स्थायी लोक अदालत के मामलों में कोई भी कोर्ट फीस अदा नहीं की जाती है और व्यक्ति स्वंय भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, शिकायत दर्ज होने के बाद विपक्षी पार्टी को नोटिस होने के उपरान्त विपक्षी के हाजिर होने पर सबसे पहले दोनो पक्षों में सुलह समझौते के आधार पर मामले को निस्तारित करने का प्रयास किया जाता है। यदि मामला सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित नहीं होता है तो सिविल वाद की तरह कार्यवाही कर मामले का निस्तारण किया जाता है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार श्रीमती सिमरनजीत कौर द्वारा अधिकार मित्रों को पीएमएलटी० के माध्यम से स्थायी लोक अदालत की कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्रदान करायी गयी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के अधिकार मित्रों के द्वारा सम्पूर्ण जिले में स्थायी लोक अदालत का प्रचार–प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि, सचिव जिविप्रा० सेवा प्राधिकरण व स्थायी लोक अदालत के सदस्यगण द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकार मित्रों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये, इस कार्यक्रम का सफल मंच संचालन रमन कुमार चैनी, डिप्टी एलएण्डडीओसीए द्वारा किया गया, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 250 अधिकार मित्रों में से 30 अधिकार मित्रों को चयनित कर शिक्षण प्रदान कराया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

कहन सुनन

हरिद्वार–माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार श्री नरेन्द्र दत्त जी के आदेशानुसार ऑलविया इंटरनेशनल स्कूल राजा गार्डन जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार में एक विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार श्रीमती सिमरनजीत कौर उपस्थित रहीं, इस शिविर में मुख्य अतिथि द्वारा छात्र–छात्राओं को मुख्य रूप से पॉक्सो एक्ट, यातायात के नियमों, साइबर क्राइम से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी, साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किये जाने तथा नालसा हैल्पलाइन नम्बर 15100 के बारे में भी बताया गया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करायी गयी। इस शिविर में भारतीय जागरूकता सोसायटी हरिद्वार के अध्यक्ष तथा स्कूल के प्रधानाचार्य व समस्त अध्यापकगण तथा भारी संख्या में छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

न्याय रथ को दिखाई हरी झंडी

जिला न्यायधीश प्रशांत जोशी ने ग्राम सौड़ के लिए किया रवाना

शाह टाइम्स संवाददाता

नैनीताल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की विभिन्न जनकल्याणकारी एवं विधिक सेवा योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंच. ाने के विशेष मकसद से अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल/जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी द्वारा वीरवार को जिला न्यायालय से न्याय रथ गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर नैनीताल के समीपवर्ती ग्राम सौड के लिए रवाना कर किया उसके बाद ग्राम सौड में मंगा ड्राईव चरण-प्रथम का शुभारंभ सिविल जज (सी.डि.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल पारुल थपलियाल के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया। बता दें इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामवासियों को उनके विधिक अधिकारों, निशुल्क विधिक सहायता एवं नालसा की विभिन्न



कल्याणकारी योजनाओं की जानक. ारी प्रदान करना तथा पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का वास्तविक लाभ दिलाना है। मंगा ड्राइव के अन्तर्गत पैरालीगल वॉलेन्टियर द्वारा घर-घर संपर्क कर पात्र लाभार्थियों की पहचान की जायेगी तथा उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के संबंध में आवश्यक विधिक सहायता एवं पालन किया जाएगा। अभियान के दौरान ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, स्थानीय प्रबुद्ध ग्रामवासी एवं अन्य लोगों के साथ समन्वय स्थापित कर ग्रामीणों तक विधिक सेवाओं एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचायी जाएगी। स्थानीय आवश्यकताओं एवं ग्रामीणों की समस्याओं के आधार पर संबंधित नालसा योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जायेगी तथा मंगा ड्राईव के अंतर्गत किये गये कार्यों का समुचित दस्तावेजीकरण एवं प्रगति रिपोर्ट नालसा को प्रेषित की जायेगी। इस अवसर पर आमजन से अपील की गई कि वे अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहें तथा किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर निशुल्क विधिक सहायता के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संपर्क कर सकते हैं। इस मौके पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसल सोहन तिवारी, डिप्टी लीगल एड डिफेंस हेमा शर्मा, रिटेनर अधिवक्ता तारा आर्या, नाजिर धीरज मुयाल, कनिष्ठ सहायक राहुल डंगवाल, अंबिका, यशवंत कुमार, मनोज बलसुनी, अजय बिष्ट तथा अनीता बिष्ट रहे।

मानसिक बीमारी व बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए 'मनोन्याय' बनेगा सहारा

ग्राम्य गाथा संवाददाता

उत्तरकाशी। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी मलिक मजहर सुल्तान के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चिन्यालीसौड़ में नालसा (मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2024 विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं अन्य प्रतिभागियों को मानसिक स्वास्थ्य और दिव्यांगजनों के अधिकारों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिन कुमार ने कहा कि मानसिक बीमारी एवं बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों को न्याय, सम्मान और कानूनी सहायता उपलब्ध कराना समाज और विधिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के अंतर्गत 'मनोन्याय' विधिक सेवा इकाई का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से मानसिक बीमारी एवं बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता, परामर्श और जागरूकता सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।



उन्होंने नालसा योजना-2024 के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए समन्वित रूप से कार्य कर रहे हैं। सचिव ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम-2017, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम-2016, पोक्सो अधिनियम-2012 तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा कीं।

सचिन कुमार ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पैनल अधिवक्ताओं, पराविधिक स्वयंसेवकों तथा लीगल एड डिफेंस सिस्टम के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने छात्राओं से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहने तथा जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का आह्वान किया।

शिविर में उप मुख्य लीगल एड डिफेंस काउंसिल वैभव, विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं, पराविधिक कार्यकर्ता तथा अन्य लोग उपस्थित रहे।

विधिक शिविर में मानव तस्करी के बारे में जाना

शाह टाइम्स संवाददाता

नैनीताल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल/जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देशन में सिविल जज (सी.डि.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल पारुल थपलियाल के द्वारा जिला मुख्यालय नैनीताल स्थित सनवाल पब्लिक स्कूल में शनिवार को मानव तस्करी विषय पर विधिक साक्षरता एवम जगरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सिविल जज (सी.डि.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल पारुल थपलियाल द्वारा सर्व प्रथम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे मे बताते हुए बताया। कहा कि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता, कानूनी सलाह और लोक अदालत के माध्यम से विवादों का समाधान प्रदान करने वाली एक जिला स्तरीय संस्था है जो महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा विकलांगों और विचारधीन बन्दी, किन्नर समाज व मानसिक रूप से कमजोर, वृद्ध जन तथा कम आय वाले व्यक्तियों को कोर्ट में पैरवी के लिए मुफ्त वकील मुहैया कराती है। सचिव द्वारा मानव तस्करी पर बताया गया। मानव तस्करी को रोकने के मुख्य उपाय जन-जागरूकता बढ़ाना, कड़े कानून लागू करना और पीड़ितों का पुनर्वास, समाज और कमजोर वर्गों को तस्करी के खतरों और फर्जी वादों के बारे में बताया। शिविर में प्रधानाचार्य अमदीप एमनुल समेत अंबिका, यशवंत कुमार, प्रशिक्षुता, भूमिका व निहारिका आदि मौजूद रहे।

अधिकार मित्रों को दी स्पृहा योजना की जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में सचिव ने अभियान को पूरा करने का दिया लक्ष्य

संवाद न्यूज एजेंसी



कार्यक्रम को संबोधित करतीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव। स्रोतःस्वयं

रोशनाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विकास भवन रोशनाबाद के सभागार में अधिकार मित्रों की मासिक बैठक आयोजित की। न्यायाधीश नरेंद्र दत्त के आदेश पर आयोजित इस बैठक में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की स्पृहा योजना के तहत कई आवश्यक निर्देश दिए गए। इसमें प्राधिकरण की सचिव व सिविल जज सीनियर डिवीजन सिमरनजीत कौर ने कार्य योजना की विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में बताया गया कि अधिकार मित्रों अपराध से पीड़ित व्यक्तियों, जेल में बंद कैदियों के आश्रितों और परिजनों के हितों को संरक्षित करने में विधिक सहयोग प्रदान करेंगे। अगस्त माह में सभी अधिकार मित्र पूरे जिले में योजना का प्रचार-प्रसार करेंगे। इसके साथ ही पीड़ित और उनके आश्रितों को चिह्नित कर उन्हें प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएंगे। योजना अधिकार मित्रों को इसी माह स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली के बारे में भी अवगत कराया गया। इसमें स्थायी लोक अदालत हरिद्वार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में एक विशेष कार्यशाला भी होगी।

दैनिक ग्राम्य गाथा | पर्वतीय सीमांत क्षेत्र | उत्तरकाशी: गुरुवार 06 अगस्त 2026 | 3

स्थायी लोक अदालत से होगा जनहित सेवाओं के विवादों का समाधान, बोंगा में विधिक जागरूकता शिविर

- सचिव सचिन कुमार बोले मुकदमे से पहले विवाद सुलझाने का बेहतर माध्यम है स्थायी लोक अदालत





राम्य गाथा संवाददाता

उत्तरकाशी। आमजन को कानून की जानकारी देकर न्याय तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी द्वारा बुधवार को भटवाड़ी तहसील के राजकीय इण्टर कॉलेज बोंगा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्थायी लोक अदालत की भूमिका, लाभ, आवश्यक बीज, कार्य तथा आपराधिक मामलों के निपटान संबंधी महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। मौके पर कानून की सही जानकारी नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी से भी बचाती है।

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल तथा जिला जज एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी के निर्देशानुसार आयोजित इस शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिन कुमार ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए बताया कि स्थायी लोक अदालत का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वर्तमान संसाधनों से जुड़े विवादों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि बिजली, पेयजल, अस्पताल, परिवहन तथा अन्य जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों में न्यायालय जाने से पहले पक्षकार स्थायी लोक अदालत का सहारा लेकर आपसी समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत में सबसे पहले दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया जाता है। यदि आपसी सहमति बन जाती है तो उसी आधार पर अवार्ड पारित किया जाता है। यहीं, पीड़ि समझौता संभव नहीं हो पाता तो प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर आगे की विधिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था लोगों को शीघ्र, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में अत्यंत प्रभावी साबित हो रही है।

सिविल के दीवान प्रतिभागियों को जमानत बीज, वारंट, जमानत की प्रक्रिया, आपराधिक मामलों के निपटान तथा संबंधित कानूनी अधिकारों और दायित्वों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। छात्र-छात्राओं एवं ग्रामीणों को बताया गया कि किसी भी कानूनी समस्या की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दान उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही उन्हें कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया गया।

कार्यक्रम में दिहेर अधिवक्ता पवन दत्त जोशी ने भी विधिक जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज के कमजोर के प्रति जागरूकता बढ़ने से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान संभव होता है और न्याय व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव भी कम होता है।

जागरूकता शिविर में विद्यालय के प्रधानाचार्य, सिज़न-सिविलम्, छात्र-छात्राएं, कार्यालय कर्मचारी, ग्रामीण, पारविधिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने प्रतिभाग किया।

हिन्दुस्तान

फार्मासिस्ट नहीं, कहीं दवा एक्सपायर



मसूरी में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करती प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी।

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं औषधि विभाग की टीम द्वारा मसूरी में मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी के दौरान दवा बिक्री से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आईं। मानकों के उल्लंघन के चलते चार दुकानों पर दवाओं की खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई।

प्राधिकरण सचिव सीमा डुंगराकोटी के नेतृत्व में टीम ने 'सेफ ड्रग्स-सेफ लाइफ' अभियान के तहत छापेमारी में फार्मासिस्ट, लाइसेंस, दवा के रखरखाव, एक्सपायरी दवाओं और फ्रिज की जांच की। इस दौरान हैमर्स मेडिकोज में फार्मासिस्ट नहीं मिला। एक्सपायर दवाएं अन्य दवाओं के साथ रखी थीं। सीसीटीवी नहीं था और सफाई व्यवस्था भी खराब मिली। टीम ने दवा बिक्री रोकते हुए नोटिस जारी किया। अग्रवाल मेडिकोज में फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवा बिक्री की बात सामने आई। फ्रिज में वैक्सीन निर्धारित तापमान पर नहीं मिली। एक्सपायर और कटी दवाएं भी मिलीं। स्टोर बंद कर दिया गया। ऑप्टिशियन मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट नहीं मिली। एक्सपायर दवा का रखरखाव अव्यवस्थित था और फ्रिज खराब मिला। ए. जेम्स एंड कंपनी का लाइसेंस मई में समाप्त हो चुका था। यहां अभिलेख भी व्यवस्थित नहीं थे। टीम ने दवा बिक्री रोकने के निर्देश दिए। जांच में एंटीबायोटिक दवाओं के पांच-छह एक्सपायर पत्ते भी मिले।

सबसे तेज प्रधान टाइम्स

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार ने वानप्रस्थ आश्रम एवं हेलोनिक्स कंपनी हरिद्वार में मनाया विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस

सचिन आर्य



हरिद्वार (सबसे तेज प्रधान टाइम्स)। 21 अगस्त 2026 को माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार श्री नरेन्द्र दत्त जी के आदेशानुसार आज वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर, हरिद्वार में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का भव्य आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार श्रीमती सिमरनजीत कौर उपस्थित रहीं, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आश्रम में रह रहे बुजुर्गों एवं वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकारों की विस्तार जानकारी दी, साथ ही सचिव महोदया ने बताया कि किसी भी विधिक समस्या या सहायता के लिए खुजुर्ग नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 या कार्यालय में संपर्क कर निःशुल्क कानूनी सलाह ले सकते हैं। कार्यक्रम में वानप्रस्थ आश्रम के पदाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के अधिकार मित्र तथा बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे।

इसी क्रम में सिडकुल स्थित हेलोनिक्स कंपनी में भी भव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, कार्यक्रम के दौरान उपस्थित वरिष्ठ कार्मिकों एवं कर्मचारियों को माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम सहित उनके अन्य मौलिक अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान सचिव महोदया ने अवगत कराया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ नागरिकों एवं असहाय व्यक्तियों को त्वरित एवं निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इसी के साथ-साथ इस प्राधिकरण के अंतर्गत आज जनपद हरिद्वार में विभिन्न स्थानों पर वरिष्ठ नागरिकों के साथ विश्व नागरिक दिवस मनाया गया।

अमर उजाला

Udhamsingh nag

21-08-2026

विद्यार्थियों को नशे और साइबर अपराध से बचने की दी सीख



बीएसवी कॉलेज में आयोजित शिविर में शामिल सिविल जज ममता पंत। संवाद

जसपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्थानीय प्राविधिक कार्यकर्ताओं की ओर से बृहस्पतिवार को बीएसबी इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज ममता पंत ने विद्यार्थियों को पोक्सो एक्ट और नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। छात्र-छात्राओं से गलत संगत से बचने और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की अपील की। प्रधानाचार्य मेजर स्वतंत्र कुमार मिश्रा ने विद्यार्थियों से नियमित रूप से विद्यालय आने और नशे से दूर रहने की अपील की। कॉलेज प्रबंधक सुभाष चंद्र अग्रवाल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। बाद में मुख्य अतिथि ने छात्र-छात्राओं को लंच बॉक्स और पेन देकर सम्मानित किया। वहां प्रफुल कौशिक, पीएलबी वीर सिंह गौतम, पैनल अधिवक्ता संदीप कुमार शर्मा, प्रदीप कुमार, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सोनू कुमार, आदेश कुमार, विकास कुमार, प्रदीप कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद